



## छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), रायपुर

प्रकरण क्रमांक—M-PRO-2023-01975

— समक्ष —

श्री संजय शुक्ला, अध्यक्ष,  
श्री धनंजय देवांगन, सदस्य,

श्रीमती प्रीति शर्मा, पति—श्री सत्यदेव शर्मा,  
निवासी—बी-6, कृष्णा वैली, विजयपुर,  
बोईरदादर, जिला—रायगढ़ (छ.ग.)

..... आवेदिका

### विरुद्ध

- (1) मेसर्स लक्ष्य इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.,  
द्वारा—भागीदार श्री विकास अग्रवाल,  
निवासी—मेन अस्पताल के सामने, जिला—रायगढ़ (छ.ग.)
- (2) श्री सुनील सुल्तानिया, पिता—श्री हरेराम सुल्तानिया,  
भागीदार—मेसर्स लक्ष्य इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.,  
निवासी—डभरा रोड, खरसिया, जिला—रायगढ़ (छ.ग.) ..... अनावेदकगण

### उपस्थिति :-

- (1) श्री सृजन शुक्ला, अधिवक्ता वास्ते आवेदिका।
- (2) श्री अंकित गुप्ता, सी.ए. वास्ते अनावेदक।

(प्रोजेक्ट—“कृष्णा वैली”, विजयपुर, जिला—रायगढ़)

रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर—PCGRERA050718000471

आदेश

(दिनांक—24 / 11 / 2023)

आवेदिका श्रीमती प्रीति शर्मा, पति—श्री सत्यदेव शर्मा, निवासी— बी-6, कृष्णा वैली, विजयपुर, बोईरदादर, जिला—रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-31 एतद् पश्चात् छ.ग. भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 एतद् पश्चात् नियम की कंडिका-35 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप-ड (FORM-M) में आवेदन कर अनावेदकगण के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में आवेदिका का कथन है कि उसके द्वारा अनावेदकगण के प्रोजेक्ट “कृष्णा वैली”, ग्राम—बोईरदादर, जिला—रायगढ़ (छ.ग.) में प्लॉट नं.—बी-6 को कुल रूपये 22,55,500/- में क्रय करने हेतु दिनांक 17.04.2018 को विक्रय विलेख निष्पादित किया गया। अनावेदकगण द्वारा संपूर्ण विक्रय प्रतिफल की राशि प्राप्त करने के पश्चात् आज दिनांक तक प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में कोई विकास नहीं

किया गया है। अनावेदकगण द्वारा मौखिक रूप से कई सुविधाओं को पूर्ण करने का आश्वासन आवेदिका को दिया गया। परन्तु अनावेदकगण द्वारा ब्रोशर में उल्लेखित सुविधाओं जैसे—मंदिर, उद्यान और छोटे बच्चों के लिये प्ले एरिया को पूर्ण नहीं किया गया है। अनावेदकगण द्वारा विक्रय विलेख के निष्पादन के एक वर्ष के भीतर प्रोजेक्ट को पूर्ण करने का कथन किया गया है। परन्तु आज दिनांक तक प्रोजेक्ट पूर्ण नहीं किया गया है। आवेदिका द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-12 अंतर्गत अनुतोष चाही गई है कि प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदकगण सभी सुविधाओं के साथ प्रोजेक्ट का विकास करने में असफल रहा है। अनावेदकगण भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-18 अंतर्गत क्षतिपूर्ति एवं आवेदिका द्वारा भुगतान की गई राशि पर ब्याज प्रदान करने के लिये उत्तरदायी है। आवेदिका द्वारा कथन किया गया है कि प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट छ.ग. रेरा में पंजीकृत है और प्रोजेक्ट की वैधता अवधि दिनांक 30.03.2021 को समाप्त हो चुकी है। परन्तु इसके बावजूद आज दिनांक तक अनावेदकगण द्वारा आधारभूत सुविधाओं को प्रदान नहीं किया गया है। नगरपालिका निगम, रायगढ़ द्वारा दिनांक 02.01.2020 को अनावेदक क्रमांक-1 को बंधक मुक्त प्रमाण पत्र एवं कॉलोनी अंतरण प्रमाण पत्र के लिये पत्र जारी किया है। उक्त पत्र में विशिष्ट रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा उल्लेखित किया गया है कि यदि कोई अपूर्ण विकास की शिकायत प्राप्त होती है, तो उसके लिये अनावेदकगण जवाबदेह होंगे तथा अनावेदकगण को जारी अनुज्ञप्ति एवं निक्षेपित एफ.डी.आर जब्त कर ली जायेगी। नगरपालिका निगम, रायगढ़ द्वारा दिनांक 02.01.2020 को जारी पत्र को पूर्णता प्रमाण पत्र के रूप में प्रदान किया गया है। परन्तु किसी भी तरह से इस पत्र को पूर्णता प्रमाण पत्र के रूप में नहीं समझा जा सकता है और यह बंधक मुक्त प्रमाण पत्र है। इसलिये अनावेदकगण द्वारा प्राधिकरण को धोखा देने एवं गुमराह करने का प्रयत्न किया गया है। अनावेदकगण द्वारा ना तो सुविधाओं को पूर्ण किया गया है और ना ही प्लॉट का आधिपत्य प्रदान किया गया है। इसलिये अनावेदकगण का आचरण अस्वीकार्य, अनैतिक एवं अविधिक है। अनावेदकगण द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-11 का उल्लंघन किया गया है। अनावेदकगण द्वारा आधारभूत सुविधाओं को पूर्ण नहीं किया गया है जैसे—प्रणाली का सही कार्य नहीं करना, निकास लाईनों का संनिर्माण जो अपूर्ण निर्माण हुआ है, जिसके कारण से दुर्घटना होने की संभावना रहती है, कोई मल निकास उपचार प्लांट प्रोजेक्ट में आज दिनांक तक नहीं लगाया गया है। पानी टैंक जिसके द्वारा जलापूर्ति होती है, उसकी सफाई एवं रखरखाव का अभाव है, उसे एक बार भी साफ नहीं किया गया है तथा उसमें तीन फीट तक गंदा अवशिष्ट बना हुआ है। उनके पास प्रदूषित पानी पीने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है और उसी तरह कई अन्य समस्यायें हैं, जिसे तत्काल ठीक करने की आवश्यकता है। प्रोजेक्ट में समस्यायें विद्यमान हैं, जो आवासीय परिसर को निवास के लिये अयोग्य,

असंतोषजनक तथा निम्न स्तरीय बना दिया है। आवेदिका द्वारा पूर्व प्रकरण क्रमांक—M-PRO-2023-01871 में दिनांक 18.07.2023 को आदेश पारित किया गया था, जिसमें प्राधिकरण द्वारा स्थल निरीक्षण आयुक्त के माध्यम से कराने के लिये आदेशित किया गया था। आयुक्त प्रतिवेदन दिनांक 20.04.2023 द्वारा कॉलोनी का निरीक्षण पूर्व ही किया जा चुका है। इस प्रतिवेदन में आयुक्त ने कई अपूर्ण कार्यों, सुविधायें प्रदान नहीं की गईं तथा अपूर्ण कार्यों के लिये अनावेदकगण द्वारा रखरखाव कार्य कराये जाने की आवश्यकता को इंगित किया गया था। अपूर्ण कार्य में सम्मिलित है :- पहुँच मार्ग का निर्माण, मंदिर निर्माण, झूला घर, वर्षा जल संरक्षण, मल निकास उपचार संयंत्र, बहुक्षेत्र इत्यादि। अतः आवेदिका द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में आधारभूत सुविधाओं को पूर्ण कराने हेतु तथा मानसिक क्षतिपूर्ति हेतु रूपये 15,00,000/- दिलाये जाने हेतु अनावेदकगण को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है। आवेदिका द्वारा वाद व्यय रूपये 5,00,000/- दिलाये जाने तथा अन्य राहत प्रदान करने का अनुतोष चाही गई है।

2. प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदकगण को उक्त शिकायत के संबंध में प्राधिकरण के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने एवं अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने बाबत रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित कर सूचित किया गया। उन्हें ई-मेल के द्वारा भी नोटिस एवं दस्तावेज प्रेषित किये गये।
3. अनावेदक द्वारा अपने सी.ए. के माध्यम से प्रस्तुत जवाब में यह लेख किया गया है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 02.01.2020 अनुसार प्रोजेक्ट को पूर्ण कर दिया गया है। अनावेदकगण द्वारा सभी आवश्यक कार्यों एवं प्रोजेक्ट के अन्य गतिविधियों की देख-रेख कर रहे हैं। अनावेदकगण द्वारा प्रोजेक्ट की आधारभूत सुविधाओं को पूर्व ही पूर्ण कर चुक हैं। परन्तु किसी पंजीकृत एवं विधिक कल्याण सोसायटी का निर्माण नहीं होने से सुविधायें प्रदान की गई है, समय के साथ क्षीण हो गई है। क्योंकि रखरखाव का दायित्व सोसायटी का है। अनावेदकगण द्वारा आधारभूत सुविधाओं को रहवासियों के लिये मरम्मत करवाया है एवं उन्हें प्रदान किया गया है। अनावेदकगण द्वारा परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा-3 के अनुसार विहित अवधि के पश्चात् प्रत्येक संस्थापित दावा, प्रस्तुत की गई अपील एवं प्रस्तुत किया गया आवेदन खारिज कर दिया जायेगा। यद्यपि परिसीमा को प्रतिरक्षा के रूप में नहीं रखा गया है। भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-31 के अनुसार प्राधिकरण या विनिर्णायक अधिकारी के समक्ष शिकायत प्रस्तुत किया जाना—कोई व्यथित व्यक्ति प्राधिकरण या विनिर्णायक अधिकारी के समक्ष यथास्थिति, इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके अधीन निर्मित नियमों एवं विनियमों के किसी उल्लंघन या अतिलंघनों के लिये किसी प्रमोटर, आबंटिती या भू-संपदा अभिकर्ता, यथास्थिति के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत कर सकेगा। शिकायत प्रस्तुत करने की अवधि विहित नहीं गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न रेसामें प्रकरण प्रस्तुत

करने की समयावधि विहित किया जाना है। क्योंकि भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम में कोई विशिष्ट समय सीमा उपबंधित नहीं की गई है। इसलिये परिसीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों को अनुसरित किया जायेगा। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि परिसीमा अधिनियम, 1963 रेरा पर अभिभावी प्रभावी रहेगा। परिसीमा अधिनियम विभिन्न तरह के कानूनी दावों को दायर करने के लिये सामान्य समय सीमा विहित करता है। परिसीमा अधिनियम के अनुसार शिकायत प्रस्तुत करने की मानक परिसीमा अवधि वाद हेतु उत्पन्न होने की दिनांक से तीन वर्ष है। इसलिये माननीय प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया परिवाद अवधि वर्जित होने के कारण पोषणीय नहीं है। आवेदिका धोखा कारित किये जाने का दावा कर रही है। क्योंकि अनावेदकगण एक वर्ष के भीतर अर्थात् वर्ष 2019 में सुविधाओं को प्रदान करने का वचन दिया था। आवेदिका द्वारा चार वर्षों में छ.ग. रेरा में क्यों आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है? यह पूर्णतया छल एवं अनावेदकगण से वित्तीय लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। अतः अनावेदकगण द्वारा आवेदिका द्वारा प्रस्तुत शिकायत समयबाधित होने के कारण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4. प्रकरण में अनावेदक क्रमांक-01 द्वारा ई-मेल से जवाब प्रस्तुत किया गया। किंतु समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत भी अनावेदक क्रमांक-02 द्वारा न तो उपस्थित हुआ गया और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। सुनवाई तिथी दिनांक 08.11.2023 को अनावेदक पक्ष के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं आदेशार्थ नियत किया गया।
5. आवेदन एवं अनावेदक क्रमांक-01 के जवाब के तथ्यों के विचारण पश्चात् प्राधिकरण द्वारा विनिश्चयन के निम्नानुसार बिंदु निर्धारित किये जाते हैं:-
  1. क्या यह आवेदन प्राधिकरण के विचारण क्षेत्राधिकार में है?
  2. बिंदु क्रमांक-01 का उत्तर हाँ होने की स्थिति में आवेदक को वांछित अनुतोष प्रदान किया जा सकता है, यदि हाँ तो कितना एवं किस स्वरूप में?
6. **विनिश्चय के बिंदु क्रमांक-01 के विनिश्चयन का आधार :-** आवेदिका एवं अनावेदक क्रमांक-01 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि कृष्णा वैली, विजयपुर, बोईरदादर एक भू-संपदा प्रोजेक्ट है। आवेदिका द्वारा प्रोजेक्ट में प्लॉट नंबर बी-6, 22,55,500/- रुपये में क्रय हेतु अनावेदक से विक्रय-विलेख निष्पादित किया गया है। अस्तु आवेदिका आबंटिती है एवं अनावेदक संप्रवर्तक है। अनावेदक क्रमांक-01 की आपत्ति यह है कि प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुका है। दिनांक 02.01.2020 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अतः पूर्ण प्रोजेक्ट होने के कारण व भारतीय काल परिसीमा अधिनियम-1963 के प्रावधानों के अनुसार तीन वर्ष पश्चात् आवेदन प्रस्तुत करने के कारण आवेदन प्राधिकरण के विचारण क्षेत्राधिकार में नहीं

है एवं कालसीमा बाधित है, अतः निरस्ती योग्य है। आवेदक द्वारा आवेदन में कथन किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र बंधक मुक्त प्रमाण पत्र है, प्रोजेक्ट का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं है। यह प्रमाण पत्र भी सशर्त है कि अपूर्ण विकास की शिकायत प्राप्त होने पर अनावेदकगण जवाब देय होंगे तथा अनावेदकगण को जारी अनुज्ञप्ति निक्षेपित एफ.डी.आर. जब्त कर ली जाएगी।

अनावेदक क्रमांक-01 द्वारा यह आपत्ति ली गई है कि भारतीय मर्यादा अधिनियम-1963 के प्रावधान अनुसार तीन वर्ष पश्चात् यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अस्तु कालसीमा बाधित है एवं विचारण योग्य नहीं है। अधिनियम की धारा-16(3) के अनुसार "कब्जा सौंपे जाने की तारीख से पांच वर्ष के भीतर आबंटिती द्वारा ऐसे विकास से संबंधित किसी संरचनात्मक त्रुटि या सेवाओं के कर्म कौशल क्वालिटी या उपबंध या संप्रवर्तक की किसी अन्य बाध्याताओं की ओर संप्रवर्तक का ध्यान दिलाया जाता है, तो संप्रवर्तक का यह कर्तव्य होगा कि व ऐसी त्रुटियों को बिना किसी अतिरिक्त प्रभारों के तीस दिन के भीतर दूर कराए और संप्रवर्तक द्वारा ऐसी त्रुटियों को ऐसे समय के भीतर दूर करने में असफल रहने की दशा में व्यथित आबंटिती उस रीति में व समुचित प्रतिकर पाने का हकदार होगा। जो इस अधिनियम के अधीन उपबंधित हो।" अधिनियम के उक्त स्पष्ट उपबंध से यह संदेह से परे है, कि तीन वर्ष की कालसीमा आवेदन के विचारण हेतु प्रभावशील है। आवेदन में संरचनात्मक त्रुटि सीवर लाईन पूर्ण नहीं होना, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित नहीं किये जाने का उल्लेख है, सीवर लाईन की त्रुटि संरचनात्मक त्रुटि के अधीन है।

प्राधिकरण के समक्ष आवेदिका के पति श्री सत्यदेव शर्मा द्वारा एक आवेदन अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 31.01.2023 को समान बिंदुओं पर प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक-M-PRO-2023-01871 पंजीकृत कर विचारण किया गया। उक्त प्रकरण में अनावेदक इस प्रकरण के समान ही है एवं प्रकरण के तथ्य एवं विषयवस्तु भी एक समान है। उक्त प्रकरण में दिनांक 10.03.2023 को आवेदक द्वारा कमिश्नर नियुक्ति का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर विचारण करते हुए प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24.03.2023 को कमिश्नर नियुक्ति का आदेश पारित किया गया। दिनांक 26.05.2023 को अनावेदक द्वारा कमिश्नर रिपोर्ट के आधार पर अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने सहमति व्यक्त किया गया। यद्यपि उक्त प्रकरण आवेदक श्री सत्यदेव शर्मा का आवेदक के रूप में Locus Standi न होने के कारण आवेदन निरस्त किया गया, किंतु प्रकरण गुण दोष पर विनिश्चित नहीं किया गया। उक्त प्रकरण में दी गई सहमति एवं जवाब से अनावेदकगण पूर्व विबंधन के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल के अधीन धारा-115 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत आबद्ध है। अतः कालसीमा बाधा संबंधी आपत्ति इस प्रकरण में ग्राह्य योग्य नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल

अपील क्रमांक-4582/2019 (ARISING OUT OF SLIP (CIVIL) NO. 30365 OF 2018, GANESAN REP BY ITS POWER AGENT G. RUKMANI GANESAN VS THE COMMISSIONER, THE TAMIL NADU HINDU RELIGIOUS AND CHARITABLE ENDOWMENTS BOARD & ORS.) के न्यायदृष्टांत अनुसार भी अनावेदक के कालसीमा संबंधित आपत्ति ग्राह्य योग्य नहीं है।

स्थानीय निकाय नगरपालिक निगम, रायगढ़ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक-2182/भवन/न.पा.नि/2019, दिनांक 02.01.2020 का अवलोकन किया गया। उक्त प्रमाण पत्र रहन भूखण्ड मुक्त एवं कॉलोनी हस्तांतरण प्रमाण पत्र है, “विषयांतर्गत संदर्भित पत्र में लेख है कि आपके आवेदन अनुसार स्थल निरीक्षण कर ग्राम-बोईरदादर निर्मित कृष्णा वैली कॉलोनी का विकास कार्य पूर्ण कर लिया गया है, यह पंक्ति अस्पष्ट है। उक्त प्रमाण पत्र की कंडिका-04 में उल्लेखित है, कि किसी प्रकार के अन्य कार्य पूर्ण न होने के शिकायत पर संपूर्ण जिम्मेदारी कॉलोनाईजर की होगी, उनके लाईसेंस एवं जमा एफ.डी.आर. राशि से कार्य कराया जाएगा। उक्त पंक्ति से स्पष्ट है कि स्थानीय निकाय के प्रचलित अधिनियम एवं नियम के अधीन स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है, अन्य कार्य पूर्ण न होने की शिकायत पर संपूर्ण जिम्मेदारी कॉलोनाईजर की होगी, यह शर्त रखी गई है, आवेदन अनुसार सीवर लाईन पूर्ण नहीं किया गया है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया गया है, अप्रोच रोड, मंदिर, झूला-घर, व रेन वॉटर हॉरवेस्टिंग का कार्य नहीं किया गया। अतः स्पष्ट है, कि अनावेदक की विचारण क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्ति ग्राह्य योग्य नहीं है, अस्तु निरस्त की जाती है।’

7. **विनिश्चय के बिंदु क्रमांक-02 के विनिश्चयन का आधार:-** विकास कार्य नहीं किये जाने, संरचनात्मक त्रुटि होने, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बने होने, पहुँच मार्ग नहीं बने होने, मंदिर निर्माण नहीं होने, झूला-घर नहीं होने, वर्षा जल संरक्षण नहीं होने, मल्टी एरिया स्पेस नहीं होने के संबंध में अनावेदक द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्राधिकरण के समक्ष आवेदिका के पति श्री सत्यदेव शर्मा द्वारा एक आवेदन अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 31.01.2023 को समान बिंदुओं पर प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक-M-PRO-2023-01871 पंजीकृत कर विचारण किया गया। उक्त प्रकरण में अनावेदक इस प्रकरण के समान ही है एवं प्रकरण के तथ्य एवं विषयवस्तु भी एक समान है। उक्त प्रकरण में दिनांक 10.03.2023 को आवेदक द्वारा कमिश्नर नियुक्ति का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर विचारण करते हुए प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24.03.2023 को कमिश्नर नियुक्ति का आदेश पारित किया गया। दिनांक 26.05.2023 को अनावेदक द्वारा कमिश्नर रिपोर्ट के आधार पर अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने सहमति व्यक्त किया गया। यद्यपि उक्त प्रकरण आवेदक श्री सत्यदेव शर्मा का आवेदक के रूप में Locus Standi न होने के कारण आवेदन निरस्त किया गया, किंतु प्रकरण गुण-दोष पर

विनिश्चित नहीं किया गया। उक्त प्रकरण में दी गई सहमति एवं जवाब से अनावेदकगण पूर्व विबंधन के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल के अधीन धारा-115 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत आबद्ध है। अतः आवेदिका अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी है।

8. अस्तु प्राधिकरण द्वारा समग्र विश्लेषण पश्चात् प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है:-
- अनावेदकगण प्रोजेक्ट का सीवर लाईन पूर्ण करते हुए, टूट-फूट सीवर लाईन की मरम्मत करावें, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण कर फंशनिंग करावें, झूला-घर बनवाए, वर्षा जल संरक्षण का उपाय करवाए, मंदिर का निर्माण करवाए एवं अप्रोच रोड का निर्माण करावें। उपर्युक्त कार्य अनावेदकगण द्वारा 03 माह के भीतर पूर्ण कराया जाए।

सही /-  
(धनंजय देवांगन)  
सदस्य

सही /-  
(संजय शुक्ला)  
अध्यक्ष